बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र010/र0वि0अधि0–01/2019 - 1209 खाद्य, पटना/दिनांक– 8.3.2019

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– **रब्बी विपणन मौसम 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

विक्रेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01, अप्रैल, 2019 से प्रारंभ है। राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूँ की अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है ।

अतः रब्बी विपणन मौमस 2019–20 हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश में दिये गये प्रावधानों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन
8/3/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/ र0वि0अधि0–01/2019 - 1209 खाद्य, पटना/दिनांक– 8.3.2019
प्रतिलिपि–सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8/3/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/ र0वि0अधि0–01/2019 - 1209 खाद्य, पटना/दिनांक– 8.3.2019
प्रतिलिपि–सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/ र0वि0अधि0–01/2019 - 1209 खाद्य, पटना/ दिनांक– 8.3.2019
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/ र0वि0अधि0–01/2019 1209 खाद्य, पटना/दिनांक– 8.3.2019
प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/ र0वि0अधि0–01/2019 1209 खाद्य, पटना/दिनांक– 8.3.2019
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव तथा माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/2019
सरकार के सचिव ।

C:\Users\Dell\Desktop\New RMS Work Paln for (2019-20).docx

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संचिका संख्या– प्र010/र0वि0अधि0–01/2019

रब्बी विपणन मौसम 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश।

राज्य में गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के अंतर्गत सम्पन्न की जानी है, जिसके अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग राज्य के नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के लाभूकों को वितरण किया जायेगा। ऐसी स्थिति में समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2.00 (दो) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु सांकेतिक लक्ष्य माना जाय तथा रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादन का गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाय। राज्य अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति सम्पन्न करने के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्ति गेहूँ को नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त गुण नियंत्रकों से गुणवत्ता की जॉच कराकर जमा करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अधिप्राप्ति वर्ष 2019–20 में राज्य के किसानों से गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों / बिचौलियों को गेहूँ अधिप्राप्ति से पृथक रखा जाय ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके । राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य के सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। रब्बी विपणन मौसम 2019–20 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या–7(8)/2018–PY.I दिनांक– 16.10.2018 द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840/– रू0** प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–01.04.2019 से 30.06.2019 तक** प्रभावी रहेगा।

1	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	1840/– रू0 प्रति क्विंटल
2	गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक– 01.04.2019 से 30.06.2019 तक

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रब्बी विपणन मौसम 2019–20 में राज्य अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ को राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- राज्य के किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है। जिस प्रखंड/पंचायत में व्यापार मंडल/पैक्स क्रियाशील नहीं है वहाँ सक्षम पैक्स/व्यापारमंडल के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति किया जाना है ।
- रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिनके द्वारा विगत अधिप्राप्ति कार्यों में अनियमितता बरती गयी है तथा जिन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है, को गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न नही किया जायेगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की ऑन लाईन संधारित सूची के आधार पर राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जायेगी ।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा।
- राज्य में गठित सभी पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगे । तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग सक्षम पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य कराने की व्यवस्था करेगी ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री में कोई असुविधा न हो ।
- राज्य के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान PFMS के माध्यम से तत्काल (48 घंटों के अन्दर) भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान बकाया नहीं रखा जायेगा ।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त गेहूँ को संग्रहण केन्द्रों में जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय गेहूँ के विरूद्ध PFMS के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य (Advice) के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रर्वतन प्रमाण पत्र के आलोक में निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जाएगा।
- रब्बी विपणन मौसम 2019—20 में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों को अविलम्ब हीं चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी / अनुशासनिक कार्रवाई किया जाय ।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार नोडल एजेंसी के रूप में करती है । गेहूँ अधिप्राप्ति से संबद्ध सभी राशि सरकारी राशि है ।
- किसानों से गेहूँ का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 (एक सौ पचास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन—लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात् उनसे अधिकतम 50 क्वीं0 गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायेगी।
- **पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर खोले गये क्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ का क्रय नहीं किया जाएगा ।** साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा प्रतिवेदित न हो इसके लिए व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ गेहूँ संग्रहरण केन्द्रों का भी भौतिक सत्यापन सुनिश्चित की जाय एवं निर्धारित समय सीमा के पूर्व गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा प्राप्त कराते हुए तत्संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाय ।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई—गर्वनेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया गेहूँ क्रय एवं भुगतान आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा PFMS प्रक्रिया अंतर्गत जिला को भुगतान हेतु PFMS में नामित खातों से राशि आवंटित किया जायेगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा। साथ ही उक्त दैनिक प्रतिवेदन की एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति साफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ का क्रय, भुगतान एवं गेहूँ की प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप से सम्पन्न करेगी । इस प्रकार अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया e-procurement software द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि गेहूँ की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।
- पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्रति लॉट 270 क्वीं0 गेहूँ की प्राप्ति किया जायेगा ।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाय ।

(I) <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>

- रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत राज्य के किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के स्तर से निर्धारित सम्भावित लक्ष्य के अनुरूप 2.00 (दो) लाख मे0टन का लक्ष्य निर्धारित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । ऐसी स्थिति में राज्य के पंजीकृत किसानों से अधिक से अधिक निधारित सीमान्तर्गत उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाय ।
- बतौर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पैक्स/व्यापार मंडलों से सिर्फ अधिप्राप्ति गेहूँ संग्रहण केन्द्रो पर प्राप्त करने का दायित्व होगा । पैक्स/व्यापारमंडलों के क्रय केन्द्रों पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था रहेगी । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्रों पर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी ।
- रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य सम्भावित लक्ष्य है, किसानों के हित में इसे अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु जिला स्वतंत्र है । आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को अपने स्तर से प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करें ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके ।
- **पैक्स/व्यापारमंडलवार गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी जिलान्तर्गत गेहूँ उत्पादन की वास्तविक आकंडों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक न हो ।**

(II) <u>क्रय केन्द्रो का निर्धारण</u>

- रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडल द्वारा क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है । सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेंगा कि जिलान्तर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियॉ पूरी कर ली गयी है :–
  - ➢ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर / दीवार अभिलेखन ।
  - ➢ किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण ।
  - ➢ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था ।
  - ➢ माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
  - ➢ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
  - ➢ प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिले के वेबसाईट तथा पैक्स/व्यापरमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके ।
  - ➢ पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
  - ➢ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
  - ➢ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
  - ➢ केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
  - ➢ विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।

- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- किसानों को **PFMS** के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई ।

- सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जानेवाले पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर क्रय केन्द्र हेतु गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी । व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये गेहूँ को गेहूँ संग्रहरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा । वैसे गोदाम जहाँ पहुच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है उन गोदामों को चिन्हित कर संबंधित जिला पदाधिकारी आपदा मोड में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जिलें में उपर्युक्त तैयारियों के साथ 01 अप्रैल 2019 से गेहूँ अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत / क्रियाशील हो जाय ।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों पर गेहूँ उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को गेहूँ प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे ।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन **/MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रखंड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
- अधिप्राप्ति अवधि (30.06.2019 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में गेहूँ क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगे एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी क्रय केन्द्रों से ही अपलोड करेंगे एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें । अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।
- पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम गेहूँ संग्रहण केन्द्र, (जो सी0एम0आर0 एवं पी0डी0एस0 गोदाम से अलग होगा) पर स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे ।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा प्राप्त की जायेगी । गेहूँ संग्रहण केन्द्रो पर गेहूँ प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगा :–
  - **पूर्व की भाँति प्रति लॉट 270 क्वीं0 अधिप्राप्ति गेहूँ की प्राप्ति किया जाएगा ।**
  - **प्रत्येक गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी पैक्स/व्यापारमंडलवार प्रति लॉट प्राप्त गेहूँ की सूचना जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा ।**
  - **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा जमा करने हेतु लाए गये गेहूँ का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रूप में संघारित किया जाना।**
  - **प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले गेहूँ का अनिवार्य रूप से ऑन–लाईन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑन–लाईन प्रविष्टि के गेहूँ की प्राप्ति नही की जायेगी।**
  - **गेहूँ के निर्गमन में प्रथम आगत–प्रथम निर्गत सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।**

(iii) **भंडारण की व्यवस्था**

- अधिप्राप्ति गेहूँ भंडारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम अधिसूचित होगें। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफटवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का अक्षांश/देशान्तर भी सूची में अंकित रहेगा, ताकि गोदामों के सही Location की पहचान आसानी से हो सके। गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- जिलों में पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों एवं उसके साथ सम्बद्ध गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम जिलावार गोदामों को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी गेहूँ संग्रहण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले गोदामों को अवशेष भंडार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त किया जाय।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती है । पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एंव अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलबध कराना सुनिश्चित किया जायेगा । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाय । तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा ।
- **<u>पैक्स/व्यापार मंडल के गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–</u>**
  - ➢ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्ता जॉच की व्यवस्था एवं डनेज मटेरियल की उपलब्धता।
  - ➢ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की व्यवस्था।
  - ➢ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
  - ➢ घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
  - ➢ कैंप कार्यालय की व्यवस्था ।
  - ➢ पर्याप्त रोशनी (लाईटिंग) की व्यवस्था ।
  - ➢ अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था ।
  - ➢ सुरक्षा की व्यवस्था ।
  - ➢ निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता ।
  - ➢ निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
  - ➢ प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में **MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय/जिला/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

(IV) **<u>गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात :–</u>**

- भूमि संबंधी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो, कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा। साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज–इनमें से कोई एक।
- अगर किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो, तो ऑन–लाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होगें :– 1. अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. गेहूँ उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्वघोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।

- सभी क्रय के संबंध में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित करना।
- रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए गेहूँ, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाय। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न रहे।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का हस्तांतरण निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र के गोदामों पर विहित प्रपत्र में निर्गत एक्सेपटेन्स ऑडर के आधार पर किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम गेहूँ संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करना सुनिश्चित करेगी, ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों का दबाव कम हो।

(V) भुगतान की व्यवस्था

- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- किसानों को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय गेहूँ की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी। किसान को खाते में PFMS के माध्यम से राशि अन्तरण की सूचना SMS से भी प्राप्त होगी।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान अविलम्ब PFMS के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घन्टे के अन्दर) कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

➢ पैक्स/व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर PFMS के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिदिन उपलब्ध होना।

➢ पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान PFMS के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय। भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

➢ पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा गेहूँ के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, गेहूँ का पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा निर्गत आर0टी0 नोट, एक्सेपटेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत जॉचोपरांत PFMS के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं PFMS पोर्टल में भी इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(VI) जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था।

- रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं स्वंय जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि गेहूँ अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
- **प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफटवेयर के माध्यम से हो।**
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अंतर्गत अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- **प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर गेहूँ अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।**

4. **पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति**

- पैक्स/व्यापार मंडल के कय केन्द्रों में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

5. **पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था**

- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहें कि किस तिथि को उन्हें बिहार राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुँचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

6. **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।**

(i) **अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका।**

- जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति गेहूँ की प्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ को हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षक कर वास्तविक किसानों से गेहूँ का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर गेहूँ अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- **पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त गेहूँ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन भेजना।**
- **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।**
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर नही हो, जहाँ वे गत वर्ष पदस्थापित थे एवं वितरण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नही लगाया जायेगा।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(ii) अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका।

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(iii) अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/पैक्स/व्यापार मंडलों की भूमिका।

- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा आवश्यकतानुसार अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों की स्थापना एवं उसे 01.04.2019 से क्रियाशील करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त गेहूँ के परिप्रेक्ष्य में गेहूँ की मात्रा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त करना।
- प्रतिदिन पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त की गयी मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन, विभाग, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं सहकारिता विभाग को भेजेगें।
- पैक्स/व्यापार मंडलों के लेखा का संधारण एवं अधिप्राप्ति का वर्षवार लेखाओं का अंकेक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- किसानों द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्रों पर अधिप्राप्ति हेतु लाए गये गेहूँ का अनलोडिंग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी पैक्स/व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा कराने के पूर्व जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से विहित प्रपत्र में एक्सेपटेंस आर्डर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत एक्सेपटेंस आर्डर के आधार पर ही पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त करेंगे।**
- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पैक्स/व्यापार मंडल से प्राप्त गेहूँ की मात्रा को विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत टी0पी0डी0एस0 में उसके प्रयोग का प्रबंधन करेगी। गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सूचारू एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- गेहूँ अधिप्राप्ति के समापन की समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त करना। रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 के समापन के उपरांत गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

(iv) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- यदि पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति ससमय नही लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।
- रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत सिर्फ अंकेक्षित पैक्स/व्यापार मंडलों को गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- चूँकि किसानों का ऑन–लाईन पंजीकरण का दायित्व सहकारिता विभाग को सौंपा गया है, इसलिए पंजीकृत किसानों का डाटा राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिदिन उक्त डाटाबेस की सॉफ्ट कॉपी सहकारिता विभाग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस डाटाबेस के आधार पर ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये गेहूँ के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जायेगी।
- सभी पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ की अधिप्राप्ति के पश्चात चेक लिस्ट के अनुसार किसानों से वांछित कागजात प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के जिलास्तरीय कार्यालय में जमा करेंगे, ताकि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्गत एकसेपटेंस ऑर्डर के आधार पर गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

- किसानों का सभी डाटा बेस Unicode में अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, ताकि किसानों को असुविधा न हो।
- पैक्स/व्यापार मंडल वायदा आधारित गेहूँ का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करेंगे। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्स/व्यापार मंडलों के नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलंब उपलब्ध कराये।
- सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये गेहूँ के ऑकड़ों से भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मुख्य सचिव, बिहार को जिला स्तर से मोबाईल एप्स के द्वारा अवगत करायेंगे, जिसमें किसानों की संख्या धान की मात्रा का जिलावार विवरणी उल्लिखित हो।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन करें।
- वैसे पैक्स/व्यापार मंडल, जो किसी कारणवश गत वर्ष अधिप्राप्ति कार्य में भाग नही ले पाये, को रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधिसम्मत कार्रवाई करना, ताकि सभी प्रखंडों में गेहूँ अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों पर गेहूँ के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप गेहूँ के गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को PFMS के माध्यम से भुगतान की गयी राशि, पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ की प्रारंभिक भंडार प्राप्ति एवं विशेष भंडार सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। साथ ही सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी आवश्यक होगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ हस्तगत कराने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑन–लाईन एसेस किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल PFMS से ऑन–लाईन भुगतान हो सके। वायदा आधारित गेहूँ अधिप्राप्ति पर पूर्णतः रोक लगाना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रही अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहॉ सहकारी बैंक नही है, वहॉ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भॉति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय।
- गेहूँ अधिप्राप्ति अवधि 30.06.2019 समाप्त होने के दो दिनों के अंदर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप दिया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिकतम दस दिनों के अंदर संयुक्त हस्ताक्षरित समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नही होगा। अंत्ततोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग के हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

(VI) जिलो के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका।

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

(VII) प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका।

- प्रत्येक सप्ताह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

7. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ।

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही गेहूँ अधिप्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ की प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ अधिक गुरूत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

8. स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नही किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरिक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर विरमित होंगे।
- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
बिहार, पटना।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

रब्बी विपणन वर्ष 2019–20 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार निर्धारित लक्ष्य

(मात्रा– मे0टन में)

क0सं0	जिला का नाम	जिलावार लक्ष्य	व्यापारमंडल जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बांका	2000	2000	
2	भागलपुर	4800	4800	
3	दरभंगा	4000	4000	
4	मधुबनी	5200	5200	
5	समस्तीपुर	10000	10000	
6	मधेपुरा	4000	4000	
7	सहरसा	4800	4800	
8	सुपौल	2000	2000	
9	अरवल	600	600	
10	औरंगाबाद	10000	10000	
11	गया	5000	5000	
12	जहानाबाद	2000	2000	
13	नवादा	2800	2800	
14	बेगूसराय	10000	10000	
15	जमुई	1400	1400	
16	खगड़िया	4800	4800	
17	लखीसराय	600	600	
18	मुंगेर	2000	2000	
19	शेखपुरा	600	600	
20	भोजपुर	11000	11000	
21	बक्सर	8000	8000	
22	कैमूर	12000	12000	
23	नालंदा	8000	8000	
24	पटना	10000	10000	
25	रोहतास	13000	13000	
26	अररिया	3000	3000	
27	कटिहार	2000	2000	
28	किशनगंज	1600	1600	
29	पूर्णिया	4000	4000	
30	गोपालगंज	5000	5000	
31	सारण	6000	6000	
32	सीवान	4000	4000	
33	पं0 चम्पारण	8000	8000	
34	पूर्वी चम्पारण	8000	8000	
35	मुजफ्फरपुर	6000	6000	
36	शिवहर	2000	2000	
37	सीतामढ़ी	5000	5000	
38	वैशाली	6800	6800	
	कुल :–	200000	200000	